

प्राक्कथन

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व सेक्टर के अंतर्गत प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संचालित की गई लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2023-24 के दौरान की गई नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2023-24 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक है, शामिल किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।